न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जवानपुरा)

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **92/2016** दायर तारीख : **16.09.2016**

1. मालीराम पुत्र गोविन्दा वगैरह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातोलाई

—— प्रार्थी

बनाम

1. दामोदर प्रसाद पुत्र नाथूराम वगैरह जाति ब्राहम्ण निवासी लखानी चौक मलकापुर महाराष्ट्र

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक :– ....

1. हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जवानपुरा दिनांक 01.05.2018 को पेश वास्ते राजीनामा से निस्तारण हेतु पेश हुआ। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश नहीं किये जाने पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।
2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खातोलाई के हाल खाता संख्या 67 में दर्ज खसरा नम्बर 1288/0.15 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व उनके पूर्वजों नाथूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण का कोई संबंध, हक अधिकार नहीं है। वरवक्त लागू होन टर्म सैटिलमेंट संवत् 2008 एवं बरोज लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.55 को भूमि मुतनाजा पर प्रार्थीगण ही अपने बुजुर्ग के साथ बहैसियत काश्तकार काबिज थे, किन्तु वरवक्त साबिक सैटिलमेंट भूमि मुतनाजा के पर्चा खातेदारी में व खसरा गिरदावरी के खाने काश्तकार में कब्जा काश्त के विपरीत प्रार्थीगण के बुजुर्ग के बजाय अप्रार्थीगण के बुजुर्ग नाथूराम का नाम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण का यह भी निवेदन रहा कि प्रार्थीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने दिन से पूर्व से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

गये है, अन्यथा में कब्जा मुफालपाना से प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

3. उपस्थित पक्षकार व पैरोकार सरकार को सुना गया।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, विधि के सुसंगत प्रावधानों, प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय पर मनन किया गया।

अ. **प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति :–** प्रार्थी ने प्रस्तुत दावा आराजी मुतनाजा पर कब्जा मुफालपाना प्रतिकूल कब्जा से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पेश किया है। इसके संबंध में यह कि आराजी मुतनाजा की खातेदारी वरवक्त साबिक सैटिलमेंट में भूमि मुतनाजा के पर्चा खातेदारी व खसरा गिरदावरी में अप्रार्थी के बुजुर्ग के नाम दर्ज रिकार्ड होना स्वयं प्रार्थीगण ने माना है तथा जमाबन्दी संवत् 2070–2073 में आराजी मुतनाजा की खातेदारी हिस्सानुसार अप्रार्थीगण व अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो राजस्व अभिलेख है, जिसे नकारने का कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रार्थीगण ने पेश नहीं किया है। यह भी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उसकी आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता तथा न ही रिकार्डेड खातेदार को किसी प्रकार से पाबन्द किया जा सकता है। मूल वाद में अंकित अन्य तथ्यों पर निर्णय दोनो पक्षों की साक्ष्य उपरान्त ही संभव होगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय में सहायक बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाता हूँ। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र के न्यायोचित निर्णय में सहायक बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय लोक अदालत दिनांक 01.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर